महत्वपूर्ण / तत्काल

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(रक्षा विभाग)
रक्षा (असैनिक-1)

विषयः स्टाफ – पक्ष, एनसी (जेसीएम) द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित विषमताओं को अग्रेषित करने हेतु और राष्ट्रीय विषमता समिति द्वारा उनके निवर्तन हेतु समय-सीमा विस्तार किए जाने--के संबंध में।

.....

उक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सं. 11/2/2016-जेसीए दिनांक 05 जुलाई, 2017 और 17 जुलाई, 2017 जारी किए हैं। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित विषमताओं को प्राप्त करने और निवर्तन दोनों के लिए समय-सीमा को विस्तारित किया गया है।

2. डीओपी एण्ड टी द्वारा किए गए उपरोक्त आशोधन के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया गया है कि विषमताओं की प्राप्ति और निपटान हेतु समय-सीमा इस विभाग के दिनांक 06 अक्तूबर, 2016 के सम सख्यक कार्यालय ज्ञापन के आंशिक आशोधन को कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 में जैसा वर्णित किया गया है , को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

i) विषमताओं की प्राप्ति हेतु समय-सीमा को 05.10.2017 तक विस्तारित किया गया है। (अर्थात विषमताओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि)।

ii) विषमताओं के निपटान हेतु समय-सीमा को 05.04.2018 तक विस्तारित किया गया है।

3. रक्षा मंत्रालय के दिनांक 08.10.2016 और 14.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन की शेष विषय-वस्तु में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हस्ता/-
(अनिल कुमार)
भारत सरकार में उप-सचिव
और सदस्य सचिव, विभागीय विषमता समिति,
दूरभाष सं.23011681

समिति के अध्यक्ष और सदस्य (संलग्न सूचि के अनुसार)

रक्षा मंत्रालय आईडी.सं. 17(01)/2016-रक्षा(असैनिक-I) दिनांक 08.08.2017

प्रतिलिपिः-

1. कर्मचारी संघ (एआईडीईएफ, आईएनडीडब्ल्यूएफ, बीपीएमएस और सीडीआरए) के महासचिव
2. रक्षा (आईटी) से रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग की वेबसाईट में कर्मचारी कार्नर में 7वां केन्द्रीय वेतन आयोग लिंक पर इस आईडी नोट को अपलोड़ कराने के आग्रह के साथ--सभी संबंधितों के सूचनार्थ